RCMS/2019/00004

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सालवाड़ी बनाम रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या 04 निर्णय दिनाँक :- 16-10-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सालवाड़ी की आ.ख.न. 591 कुल रकबा 0.19 किस्म जमीन गै.मु.प्रस्तर में से 00-1 (एक बिस्वा) रकबे पर श्री रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 00-1 (एक बिस्वा) रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का सालवाड़ी द्वारा दिनाँक 1-8-19 रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. सौंखर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी सालवाड़ी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 591 रकबा 0.19 में से 00-1 गै.मु. प्रस्तर (एक बिस्वा) रकबे किस्म गै.मु.प्रस्तर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वोरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.34 पैसा का 50 गुणा 21 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी सालवाड़ी भू.अ.निरी. सौंखर .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. 8 ... 64 ... 2 ... 2019-20 ... 21 ... की कायमी की गई

5/3/2021

[illegible]